न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

डायाराम देवासी पुत्र श्री खिमाराम देवासी, विक्रेता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स मां दूध डेयरी, तहसील रोड़, छावनी, शिवगंज, जिला– सिरोही, स्थाई पताः राइकों का वास, बाकली, जिला– पाली

F.S.S.Act Case No.81/2025

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

–: निर्णय :– **दिनांक 30 जनवरी, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 29–4–2025 को मैसर्स मां दूध डेयरी, तहसील रोड़, छावनी, शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता एवं प्रोपराईटर, डायाराम देवासी पुत्र खिमाराम, जाति– देवासी, निवासी राईकों का वास, बांकली, जिला पाली से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (लुज) का नमूना संख्या S–2645, निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूरु के विश्लेषण प्रमाण पत्र क्रमांक:1019F/FFSA/2025 दिनांक 23–9–2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी डायाराम देवासी ने नियत सुनवाई तिथि 21–01–2026 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। उसके बाद प्रतिवादी इस न्यायालय में उपस्थित नही हुआ तथा न ही नियत सुनवाई तिथि 30–01–2026 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रतिवादी डायाराम द्वारा जबाव प्रस्तुत कर जुर्म व गलती स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 29–4–2025 को समय 2–00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म मैसर्स मां दूध डेयरी, तहसील रोड़ छावनी, शिवगंज, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर विक्रेता एवं प्रोपराईटर की हैसियत से प्रतिवादी डायाराम देवासी पुत्र श्री खिमाराम, जाति– देवासी, निवासी– राईकों का वास, बांकली, जिला– पाली उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा मैसर्स मां दूध डेयरी, तहसील रोड़ छावनी, शिवगंज का निरीक्षण करने पर मैसर्स मां दूध डेयरी, तहसील रोड़, छावनी, शिवगंज की दुकान के अन्दर स्टील के टैंक में लगभग 5 किलोग्राम खाद्य पदार्थ घी (लुज) आम जन के विक्रय हेतु रखा हुआ पाया,

......पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

जिसमें मिलावट का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने खाद्य पदार्थ घी (लुज) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की सूचना, प्रतिवादी डायाराम देवासी को गवाह श्री कमलेश आर्य, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी एवं प्रपत्र 5ए की एक प्रति पर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने मैसर्स मां दूध डेयरी, छावनी रोड़, शिवगंज की दुकान के अन्दर एक स्टील की टैंक में आमजन को विक्रय करने हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (लुज) लगभग 5 किलोग्राम में से 800 ग्राम घी (लुज) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु उक्त गवाह के समक्ष एक साफ, सूखे, खाली स्टील के भिगोने में खरीदा एवं खरीदशुदा घी (लुज) की कीमत राशि रुपये 480/– (अक्षरे रुपये चार सौ अस्सी मात्र) प्रतिवादी विक्रेता डायाराम देवासी को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (लुज) को प्रतिवादी विक्रेता डायाराम देवासी व गवाह के समक्ष चार साफ, सूखी, खाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर–बराबर मात्रा में भरा एवं चारों बोतलों को ढक्कन लगागर एयरटाईट बन्द किया। श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का स्थान, दिनांक, अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-2645, खाद्य पदार्थ घी (लुज) आदि अंकित करके प्रत्येक लेबल पर प्रतिवादी विक्रेता डायाराम देवासी व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने चारों नमूना बोतलों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाकर घी (लुज) की चारों नमूना बोतलों को अलग अलग कागज में लपेट कर चारों नमूना भागों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकत्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं क्रमांक S-2645 गोंद से चिपकाकर चारों नमूना भागों को अलग अलग मोटे मजबूत धागें से बांधकर चारों नमूनों भागों को नियमानुसार चपडी से सील मोहर कर चारों नमूना भागों पर प्रतिवादी विक्रेता डायाराम देवासी व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवायें एवं स्वयं श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ घी (लुज) के उक्त चारों नमूनों भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता डायाराम देवासी व गवाह तथा श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री चन्दनदास, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर को दिनांक 30–4–2025 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाये गये। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स मां दूध डेयरी, तहसील रोड छावनी, शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता डायाराम देवासी पुत्र श्री खिमाराम से खाद्य पदार्थ घी (लुज) को खाद्य सुरक्षा एवं

.....पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (लुज) के नमूना संख्या S-2645 की खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./643/Act/2025/643 दिनांक 16–5–2025 में खाद्य पदार्थ घी का नमूना असुरक्षित खाद्य (unsafe food) पाया गया। प्रकरण में प्रतिवादी डायाराम देवासी द्वारा खाद्य पदार्थ घी के नमूना संख्या S-2645 के दूसरे भाग की रेफरल लेब से जांच करने हेतु अभिहित अधिकारी को अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) द्वारा खाद्य पदार्थ घी के नमूना संख्या S-2645 के द्वितीय भाग को जांच हेतु निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर को भिजवाया गया। प्रकरण में निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसुर से उक्त खाद्य पदार्थ घी के नमूना संख्या S-2645 के प्राप्त विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र नम्बर 1019F/FSSA/2025 दिनांक 23–09–2025 में खाद्य पदार्थ घी का नमूना संख्या S-2645, अमानक (sub-standard) पाया गया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी डायाराम देवासी पुत्र श्री खिमाराम देवासी, विक्रेता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स मां दूध डेयरी, तहसील रोड़, छावनी, शिवगंज, जिला– सिरोही, स्थाई पताः राइकों का वास, बांकली, जिला– पाली ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (लुज) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (लुज) (नमूना संख्या S-2645) के विक्रय हेतु प्रतिवादी प्रतिवादी डायाराम देवासी पुत्र श्री खिमाराम देवासी, विक्रेता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स मां दूध डेयरी, तहसील रोड़, छावनी, शिवगंज, जिला– सिरोही, स्थाई पताः राइकों का वास, बाकली, जिला– पाली पर राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रतिवादी डायाराम देवासी पुत्र श्री खिमाराम देवासी, विक्रेता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स मां दूध डेयरी, तहसील रोड़, छावनी, शिवगंज, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 30 जनवरी, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही